अधिसूचना निम्नानुसार है :—

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग (सी—अनुभाग)

मंत्रालय भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20/01/2014

क्रमांक एफ 35—15/2009/दो/सी—1 : चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने की तारीख 01 मार्च 2014 से तीन माह की अवधि के लिये प्रतिषेध करती है।

अनुसूची

राज्य के माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित समस्त कार्यो के लिये नियुक्त किये गये कर्मी (पसर्नल)।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षरित 20 जनवरी 2014
(डी. व्ही. सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

पृष्टांकन क्रमांक एफ. 35—15/2009/दो/सी—1

भोपाल दिनांक 20 जनवरी 2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षरित 20 जनवरी 2014
(डी. व्ही. सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

पत्र क्रमांक /1033/परीक्षा समन्वय/2014 दिनांक – 25/01/2014

प्रति,

समस्त प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्ष
मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष **2014** की परीक्षाओं का संचालन।

—//—

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित की जाने वाली हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 01 मार्च 2014 से तथा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा दिनांक 03 मार्च 2014 से प्रारंभ होने जा रही है।

(2) इन परीक्षाओं के आयोजन में मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त स्कूल शिक्षा के शैक्षणिक वर्ग से जुड़े कर्मचारी एवं शिक्षकगण भी जुड़े होते है। प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979" के प्रावधानों के अंतर्गत अत्यावश्यक सेवाऐं घोषित की जाती है तथा अधिसूचना जारी की जाती हैं। शासन द्वारा जारी की गई **अत्यावश्यक सेवाओं की अधिसूचना पृष्ठभाग पर मुद्रित है।** इस अधिसूचना के तहत मण्डल के किसी भी प्रकार के कर्तव्य को इंकार करने पर ऐसे व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे।

(3) माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, द्वारा वर्ष 2014 की परीक्षाओ में प्रायोगिक परीक्षा, मूल्यांकन कार्य, मूल्यांकन केन्द्र पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी, परीक्षा संचालन में नियुक्त किये गये केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, प्रेक्षक, उत्तरपुस्तिका संकलन अधिकारी, मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी एवं मूल्यांकन कार्य में नियुक्त किये गये समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं शिक्षक वर्ग इन सेवाओं के अत्यावश्यक घोषित किये जाने के पश्चात् यदि परीक्षाओं के संचालन, मूल्यांकन कार्य या मण्डल के अन्य किसी भी प्रकार के परीक्षा संबंधी कार्य को सम्पन्न करने से इंकार करते है अथवा बाधा डालते है तो वे दण्ड के भागी होंगे। यदि किसी भी शाला के प्राचार्य द्वारा मण्डल के परीक्षा संचालन अथवा मूल्यांकन कार्य में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारियों को मण्डल कार्य हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी इस अधिसूचना के तहत दण्ड के भागी होंगे।

(4) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी शाला में कार्यरत समस्त ऐसे नियुक्त किये अधिकारी/कर्मचारी तथा शिक्षकगणों को पृष्ठभाग पर मुद्रित अधिसूचना अंकित करावें।

(पुष्पलता सिंह)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,म.प्र. भोपाल

पृष्ठांकन/क्रमांक/1034/परीक्षा समन्वय/2014
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2014

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, संचालक लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक , आदिम जाति कल्याण।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश।
6. समस्त प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय/समन्वयक संस्थायें/जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मध्यप्रदेश।
7. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश।

विशेष सहायक माननीय मंत्री, शालेय शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
विशेष सहायक राज्यमंत्री शालेय शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शालेय शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय,गौतम नगर भोपाल।
आयुक्त आदिवासी विकास, सतपुडा भवन भोपाल।
समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश की साधारण सभा के समस्त माननीय सदस्य।
समस्त प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी, मा.शि. मण्डल मध्यप्रदेश।
निज सचिव–अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, की ओर सूचनार्थ।
जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की ओर समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रसारित करने हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश
भोपाल

E:\samanbay\exam\Exam 1314\order13-14.doc